Unit-3

शिक्षा में सार्वभौमीकरण (Universalization in Education)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 में भारत के संविधान को स्वीकार करने के बाद निःशुल्क अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता, कुशल गणतन्त्र, सफल नागरिकता, सबल राष्ट्र के निर्माण के लिए महसूस की गई। इसलिए भारत के संविधान में धारा 45 के अन्तर्गत निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत संविधान की धारा 45 की व्याख्या इस प्रकार की गई है — "राज्य इस संविधान के लागू किये जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करेगा"

"The state shall endeavour to provide with a period of ten years from the commencement of this constitution, for free and compulsory education for all children untill they complete the age of fourteen years."

⟶ Article 45

शिक्षा में यह सार्वभौमीकरण सबसे अधिक प्राथमिक स्तर पर आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अर्थ है 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को या कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। इस शिक्षा के अवसर शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों द्वारा प्रदान किये जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि "प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की संकल्पना स्वीकार करती है कि बिना जाति, धर्म या मत इत्यादि की ओर ध्यान

Scanned with CamScanner

दिये बिना शिक्षा बालक का मौलिक अधिकार है। इसका यह अर्थ भी है कि देश के अमीर या गरीब वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले नगरों या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले तथा दुर्गम स्थानों में रहने वाले सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी।"

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अर्थ प्रारम्भिक (प्राथमिक) स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना भी है। विकसित तथा अधिक विकसित क्षेत्रों में देशों में निःशुल्क शिक्षा का अर्थ फीस न होना, निःशुल्क पुस्तकें तथा कॉपी-पेंसिल आदि, निःशुल्क दोपहर का भोजन तथा निःशुल्क स्कूल परिवहन इत्यादि है। परन्तु भारत जैसे देश में बच्चों को ये सब सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान करना कुछ कठिन अवश्य है।

शिक्षा के सार्वभौमीकरण में समस्याएँ
(Problems in Universalization of Education)

वर्तमान शिक्षा पद्धति राष्ट्रीय जीवन व संस्कृति से ओत-प्रोत नहीं है। अतः प्रचलित भारतीय शिक्षा को राष्ट्रीय परिवेश में ढालने के लिए शिक्षा का सार्वभौमीकरण आवश्यक है जिसमें कुछ प्रमुख समस्याएँ आती हैं—

1. (i) शिक्षा के सार्वभौमीकरण में प्रमुख समस्या दोषपूर्ण शिक्षा नीति का होना जिसमें व्यावहारिक पक्ष की उपेक्षा की गई है। सरकार ने संविधान के निर्देशक सिद्धान्त को तो अपनाया परन्तु इसे किस तरह पूरा किया जायेगा, इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं किये गये।
2. जनसंख्या वृद्धि के द्वारा भी सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा

Scanned with CamScanner

सका है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण साधनों की आपूर्ति सभी के लिए शिक्षा के अवसर नहीं दिला पाती है।

3. क्षेत्रीय व सामाजिक असन्तुलन भी सार्वभौमिक शिक्षा के प्रसार में बाधक है।
4. शिक्षा के सार्वभौमीकरण में प्रमुख समस्या अपव्यय और अवरोधन की है जिसके कारण भी सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
5. प्राथमिक शिक्षा का संचालन करने वाली स्थानीय संस्थाओं नगरपालिका, जिलापरिषद् ग्राम पंचायत तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अपनायी गयी प्रशासनिक नीतियों में एक रूपता का अभाव भी।
6. भारतीय समाज की परम्पराएँ जिसके कारण लड़के व लड़की की शिक्षा में अन्तर किया जाता है, भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को जटिल कर देती है। हालांकि वर्तमान समय में इस दृष्टिकोण में बदलाव आया है व अभिभावकों में बेटियों को भी आत्मनिर्भर बनाने की आकांक्षा देखी जा रही है।

Scanned with CamScanner